

क0: एफ 2(1)वित्त / जीएण्डटी-एसपीएफसी / 2017

जयपुर दिनांक -
25 NOV 2021


परिपत्र

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 के तहत दिये जाने वाले बिड सिक्योरिंग घोषणा पत्र बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.12.2020 द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्योरिटी के स्थान पर बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसकी निरन्तरता में बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र हेतु जमा कराये जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी या स्टाम्प ड्यूटी की कमी (देय स्टाम्प ड्यूटी व लगाये गये स्टाम्प मूल्य का अन्तर) तथा उस पर लगने वाले अधिभारों के लिए ई-ग्रास के माध्यम से निम्न बजट मदों में जमा कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है:-

1. 0030-02-103-(01) दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय
2. 0030-02-800-(02) स्टॉम्प शुल्क पर आधारभूत विकास हेतु अधिभार
3. 0030-02-800-(03) स्टॉम्प शुल्क पर गौसंवर्धन/संरक्षण हेतु अधिभार
4. 0030-02-800-(04) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार

यह सुविधा समस्त बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव,राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।


मुख्य लेखाधिकारी